

F. No. 20/18/2019-IF-I
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

3rd Floor, Jeevan Deep Building
Parliament Street, New Delhi
Dated March 13, 2019

To
Mohd. Anooth,
Village – Samachak,
Post – Haroli,
District – Vaisali,
Hajipur
PIN : 844103
Bihar



Subject: RTI application dated 9th February 2019 of Mohd. Anooth.

Kindly refer to Coord. Section O.M. No.12/1/2019-Coord. dated 6th March 2019 transferring your application dated 9th February 2019 seeking certain information under RTI Act, 2005.

2. In so far this Section is concerned, three Institutions viz. India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL), Export-Import Bank of India (EXIM Bank) and IFCI Ltd. are under its administrative purview. Your application is being transferred to CPIOs of these Organisations under section 6(3) of the RTI Act, 2005 with the request to furnish desired information directly to you.

3. Any appeal with regard to instant reply may be preferred to the Appellate Authority at the following address:

`Shri Anshuman Sharma, Deputy Secretary (IF.I) / Appellate Authority, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi – 110 001`.

Yours faithfully,

(Soumyajit Ghosh)

Under Secretary (IF.I) & CPIO

Copy to :

- (i) The CPIO, India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL), 5th Floor, Block 2, Plate A & B, NBCC Tower, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023 -- with the request to provide the requisite information directly to applicant under intimation to this Department. A copy of the aforesaid RTI applications is accordingly forwarded herewith.
- (ii) The CPIO, Export-Import Bank of India (EXIM Bank), Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400005 -- with the request to provide the requisite information directly to applicant under intimation to this Department. A copy of the aforesaid RTI applications is accordingly forwarded herewith.
- (iii) The CPIO, IFCI Ltd., IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi – 110019 -- with the request to provide the requisite information directly to applicant under intimation to this Department. A copy of the aforesaid RTI applications is accordingly forwarded herewith.
- (iv) CPIO, Coord. Section, DFS.

20/18/2019-1A5

12/1/2019- समन्वय.
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
वित्तीय सेवा विभाग
(समन्वय अनुभाग)

तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली,
दिनांक: 08-02-2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कु./श्रीमति/श्री मी० इनुठ, से प्राप्त आवेदन के संबंध में।

कु./श्रीमति/श्री मी० इनुठ, ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 09-02-2019 का आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस विभाग के समन्वय अनुभाग में दिनांक 25-02-2019 को प्राप्त हुआ है जो All Sections of DFS से संबंधित है। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु उन्हें हस्तांतरित किया जाता है।

2. प्रभाग/अनुभाग/विभाग द्वारा उक्त नियत समय-सीमा में सीधे आवेदक को भेजा जाए।

157

2-02-2019

मनीष कुमार मिश्रा
(मनीष कुमार मिश्रा)

सी.पी.आई.ओ. एवं अवर सचिव (समन्वय), भारत सरकार
Tel: 23748717

सेवा में
श्रीमति/श्री Send to all CPIO, sections of DFS, J.D Building
अवर सचिव, आर.टी.आई., अनुभाग, वित्तीय सेवा
विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली, Sansad Marg

श्रीमति/श्री अवर सचिव, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ,
मंत्रालय/विभाग, नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचना :- कु./श्रीमति/श्री मी० इनुठ निवासी ग्राम श्यामचक,
पो० हरेली, तिला वैशाली-844103. - को इस मामले में अतिरिक्त
जानकारी के लिए उपर्युक्त लोक प्राधिकारी से संपर्क करने के परामर्श के साथ सूचनार्थ।

सं. ए-43011/46/2019-आरटीआई
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003
तारीख: 19 फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय : मो0 अनूठ, ग्राम- सामाचक, पोस्ट- हरौली, जिला- वैशाली- 844103 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गई सूचना।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 6 (3) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी को आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना से संबंधित आरटीआई आवेदन दिनांक 09.02.2019 (जो आरटीआई सेल में 18.02.2019 को प्राप्त हुआ) की एक प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है। आरटीआई आवेदन शुल्क प्राप्त हुआ है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (4) एवं 5 में निहित अनुदेशों के तहत संबंधित जन सूचना अधिकारी/सार्वजनिक प्राधिकरण आवेदक को निर्धारित समय के भीतर मांगी गई सूचना देने के लिए उत्तरदायी हैं।

3. सूचना भेजते/प्रदान करते/प्रेषित करते समय आवेदक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता भी सूचित करें, ताकि आवेदक सूचना से असंतुष्ट होने पर अपील कर सके।

राम किशन
19-02-2019

(राम किशन)
परामर्शदाता (आरटीआई)
टेलीफोन: 24365053

संलग्न यथोपरि प्रेषित :

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, आरटीआई सेल, नई दिल्ली (संलग्न सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

मो0 अनूठ, ग्राम- सामाचक, पोस्ट- हरौली, जिला- वैशाली- 844103 :-आपका आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 09.02.2019 (जो आरटीआई सेल में 18.02.2019 को प्राप्त हुआ) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत संबंधित सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित कर दिया गया है। आवेदक को इस मामले में आगे की सूचना के लिए उपर्युक्त सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

पुनः
23/02



सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

प्रपत्र 'क' (नियम 3 (1) देखें) आई0 डी0 सं0 (कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी
(विभाग/कार्यालय)

विभाग जन सहायता केंद्र विभाग

1. आवेदक का नाम लक्ष्मी सिंह - 1

2. पूरा पता मो 0 अमृत

या. नारायण, पो. खोखी, जि. वैशाली - 845103

3. मांगी गई सूचना का ब्यां (संक्षेप में)

मैंने भारत सरकार के लक्ष्मी मंत्रालय, उनके अखिल आयोग, विभाग, 30 फ़ी, खोखी के अखिल आयोग, या जेम्स के नाम, डाक का पूरा पता पिन कोड खोखी, सरकारी ईमेल नि. खोखी और विभागों जैसे सुचना केंद्र इन सेवाओं से संबंधित अपन - अपन विभाग के अखिल के नाम, पूरा ईमेल, मोबाइल के अलावा - साथ ही पता PubliC Information के नाम पता के अलावा जे. विभाग लक्ष्मी

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी में मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग कार्यालय से संबंधित है।

5. (1) मैंने 10 रुपये (शब्दों) 625 25000 100

..... तिथि 9.2.19 को रसीद सं 72C 077526
- 72C-77521. 5x2=2 से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।

(2) मैं डिमण्ड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं दिनांक
जो पदाधिकारी के पक्ष में बैंक
द्वारा जारी की गया है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।

(3) मैंने रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस
आवेदन में लगा दिया (सब्सक्राइब कर दिया) है।

(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

आवेदक के पत्रचार का पूरा पता :
या. नारायण, पो. खोखी
जि. वैशाली 845103

स्थान : खोखी तिथि : 9/2/19

नोट:- गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।
जो लागू नहीं है उसे काट दें।

✓ लक्ष्मी सिंह -
- 9973201927 -
आवेदक का हस्ताक्षर
ई-मेल पता, अगर कोई हो,
दूरभाषा संख्या